(न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर)

न्यायमूर्ति **निर्मलजीत कौर के समक्ष**

भारत संघ-याचिकाकर्ता

बनाम

मैसर्ज एस. आर. इंजीनियरिंग कनस्टरकश्न और एक अन्य - प्रतिवादीगण

2019 का एफ. ए. ओ. नं. 6281

05 दिसंबर, 2019

क. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-धारा 34-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 7 नियम 11-मध्यस्थता अवार्ड के खिलाफ आपत्तियां-अधिकार क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज करने की मांग- अभिनिर्धारित किया गया**, केवल मध्यस्थ की नियुक्ति करने वाले उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के पास आपत्तियों पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार है ।**

अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 का दर्द और शिकायत समझने योग्य है लेकिन यह न्यायालय कानून द्वारा बाध्य है। यह मेसर्स भंडारी उद्योग लिमिटेड बनाम औद्योगिक सुविधा परिषद और एक अन्य, 2015 (2) आर. सी. आर. (सिविल) 918, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के रूप में एक तयशुदा प्रस्ताव है।

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय है, जो मध्यस्थ की नियुक्ति करता है, जिसके पास अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियों पर निर्णय लेने या आपत्तियों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। (पैरा 6)

ख. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-मध्यस्थता पुरस्कार-पुरस्कार का प्रवर्तन-निष्पादन याचिका दायर करना-अधिकार क्षेत्र का मुद्दा- अभिनिर्धारित किया गया, याचिका कहीं भी/किसी भी न्यायालय में दायर की जा सकती है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अगला तर्क कि चंडीगढ़ के न्यायालयों द्वारा पारित दिनांक 23.10.2015 और 15.09.2017 के आदेश, जिसमें निष्पादन आवेदन को दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर करने के लिए वापस कर दिया गया था, भी अंतिमता प्राप्त कर चुका है इससे भी कोइॅ मदद नहीं मिलती है क्योंकि यह सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम अब्दुल समद और अन्य 2018 (1) आर. सी. आर. (सिविल) 994 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का तय प्रस्ताव है कि निष्पादन याचिका कहीं भी दायर की जा सकती है। (पैरा 9)

अरुण गोसाई, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए।

घनश्याम दास धीमान व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

न्यायमूर्ति **निर्मलजीत कौर**

(1) वर्तमान याचिका अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.8.2019 के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 34 के तहत आपत्तियों के खिलाफ प्रतिवादीगण द्वारा दायर आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत अस्वीकृति के लिए आवेदन को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के वाद को इस आधार पर वापिस कर दिया गया था कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ के न्यायालय को याचिकाकर्ता भारतीय संघ द्वारा दायर आपत्तियों पर निर्णय लेने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि मध्यस्थता समझौते को प्रतिवादीसंख्या 1 और सी. डब्ल्यू. ई. ए. एफ. के बीच दिनांक 30.07.1992 को निष्पादित किया गया था और सी. डब्ल्यू. ई. ने मध्यस्थ की नियुक्ति से बहुत पहले अपना कार्यालय ए. एफ. तुगलकाबाद, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया था और और मध्यस्थता की सभी कार्यवाही में सी. डब्ल्यू. ई. ए. एफ. तुगलकाबाद, न्ई दिल्ली द्वारा भाग लिया गया था और अधिनियम की धारा 31(5) के अनुसार और अन्य आधारों पर भी दिल्ली में मध्यस्थता अवार्ड को प्राप्त किया था

(2) उक्त आदेश को दरकिनार करने के लिए प्रार्थना करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन ही बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि यह आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता था। दूसरा, वर्तमान मामले में मध्यस्थ की नियुक्ति ठेकेदार द्वारा चंडीगढ़ में माननीय उच्च न्यायालय से की गई थी। अधिनियम की धारा 42 के अनुसार, वर्तमान मामले में क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल चंडीगढ़ न्यायालयों द्वारा किया जाना है। तीसरा, अधिकार क्षेत्र का सवाल जल्द से जल्द सम्भव अवास पर उठाए जाने की आवश्यकता है, जो उन्होंने चंडीगढ़ में इसी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष किया और अंत में, चंडीगढ़ के न्यायालय इस आधार पर वाद को वापस नहीं कर सकती थी कि कमांडर वर्क्स इंजीनियर, ए. एफ., चंडीगढ़ का कार्यालय सी. डब्ल्यू. ई. ए. एफ. तुगलकाबाद, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि कमांडर वर्क्स इंजीनियर, ए. एफ. का कार्यालय आज तक चंडीगढ़ में है और केवल काम सी. डब्ल्यू. ई. ए. एफ. तुगलकाबाद, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया है। आई. ए. एफ. डब्ल्यू. 22-49 अनुबंध की सामान्य शर्तों की शर्त नं.71 पर भरोसा किया गया ताकि यह तर्क दिया जा सके कि क्षेत्राधिकार वह स्थान है जहाँ से निविदा स्वीकार की जाती है।

(3) प्रतिवादी नं 1 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है और उसने व्यक्तिगत रूप
से मामले पर बहस की। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है किः-

(क) मध्यस्थ की नियुक्ति इस न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत याचिका के अनुसरण में की गई थी, जिसमें सी. डब्ल्यू. ई. ए. एफ. तुगलकाबाद, नई दिल्ली पक्षकार था न कि गैरीसन इंजीनियर
जीई (एएफ), एमसी, चंडीगढ़।

भारत का संघ बनाम एम./एस. एस. आर. इंजीनियरिंग निर्माण और एक अन्य

(न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर)

इस प्रकार, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र दिल्ली में था। उचित पक्षकार दिल्ली में रहते हैं। सूचना भी सीडब्ल्यूई एएफ तुगलकाबाद, नई दिल्ली को जारी की गयी थी। इसके अलावा, मध्यस्थता की सभी कार्यवाही भारत संघ की ओर से सी. डब्ल्यू. ई. ए. एफ. तुगलकाबाद, नई दिल्ली द्वारा संचालित की गई थी और अधिनियम की धारा 31 के अनुसार सी. डब्ल्यू. ई. ए. एफ. तुगलकाबाद, नई दिल्ली द्वारा मध्यस्थता अवार्ड भी प्राप्त किया गया था।

(ख) इसके अलावा, मध्यस्थता समझौते पर भारत संघ की ओर से सीडब्ल्यूई एएफ तुगलकाबाद, नई दिल्ली द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, न कि गैरीसन अभियंता जीई (एएफ) एमसी, चंडीगढ़ द्वारा।इसलिए, गैरीसन अभियंता जी. ई. (ए. एफ.) एम. सी., चंडीगढ़ द्वारा दायर आपत्तियां विचारणीय नहीं हैं।

(ग) इस न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने दिनांक 22.11.2023 के आदेश के माध्यम से अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन के अनुसरण में मध्यस्थ की नियुक्ति की। मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कार्यवाही में जवाब दाखिल किया गया था। उक्त उत्तर में, याचिकाकर्ता -भारत संघ ने इस बात से इन्कार किया कि चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार था और उत्तर में स्थिति को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ की नियुक्ति निविदा के नियमों और शर्तों के अनुरूप हुई है। इसके अलावा मध्यस्थ की नियुक्ति नई दिल्ली छावनी में मुख्यालय द्वारा की जाती है और नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य अभियंता ए. एफ. डब्ल्यू. ए. सी. होता है। इस बात से इनकार किया जाता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति माननीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आती है।"

(घ) जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ के समक्ष दिनांक 16.5.2015 के अवार्ड के विरुद्ध अधिनियम की धारा 36 के तहत निष्पादन के लिए आवेदन दायर किया गया था। जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने दिनांक 23.10.2015 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी-डिक्री धारक को आवेदन वापस कर दिया ताकि उसे अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके, यह मानते हुए कि उक्त आवेदन गलत तरीके से चंडीगढ़ में दायर किया गया है, जब इसे अधिकार क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, जहां देनदार संख्या 1 स्थित है, जो वर्तमान मामले में दिल्ली में था। तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 दिल्ली के न्यायालयों के समक्ष इसे दायर करने के लिए आगे बढ़ा, इसलिए यह उसकी गलती नहीं थी।

(ङ.) इस बीच, भारत संघ ने आदेश दिनांक 23.10.2015 के खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन दायर किया। उक्त पुनरीक्षण आवेदन को दिनांक 15.9.2017 के आदेश के माध्यम से भी खारिज कर दिया गया था। तदनुसार, प्रतिवादी-डिक्री धारक संख्या 1 ने अवार्ड के निष्पादन के लिए दिल्ली में उच्च न्यायालय का रुख किया।दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दिनांक 8.8.2016 के आदेश और निर्णय के

माध्यम से भारत संघ को '48,40,431 की राशि जमा करने का निर्देश देकर आवेदन का निपटारा किया विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 23.10.2015 ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और इसे कभी चुनौती नहीं दी गई थी।

(च) याचिकाकर्ता अब एक ही साँस में गर्म और ठंडा नहीं उड़ा सकता है। याचिकाकर्तागण क्षेत्राधिकार की आपत्तियाँ ले रहे हैं जब भी यह उनको ठीक लगता है । याचिकाकर्तागण ने सबसे पहले आपत्तियां उठाईं कि चंडीगढ़ के न्यायालयों का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, यह दिल्ली का न्यायालय है, जो क्षेत्राधिकार का सक्षम न्यायालय है और अब वे आपत्तियां ले रहे हैं कि अतिरिक्त जिला न्यायधीश, चंडीगढ़ द्वारा इस आधार पर शिकायत वापस नहीं की जा सकती थी कि अतिरिक्त जिला न्यायधीश, चंडीगढ़ का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि यह चंडीगढ़ का न्यायालय हैं, जो क्षेत्राधिकार का उचित न्यायालय हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार और अपने लिए उपयुक्त क्षेत्राधिकार के न्यायालयों में आपत्ति ले रहे हैं।

(4) सुना है।

(5) दिनांक 21.11.2019 को मामला सुनवाई के लिए आया । पक्षकारों को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि यह न्यायालय अधिकार क्षेत्र और गुण-दोष दोनों के प्रश्नों पर आपत्तियों को खारिज किए जाने को समझता था, लेकिन आदेश को निर्देशित करते हुए, इस न्यायालय के संज्ञान में आया कि आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत प्रार्थना पत्र केवल क्षेत्राधिकार के आधार पर स्वीकार किया गया था और वाद को क्षेत्राधिकार के उपयुक्त न्यायालय के समक्ष दायर करने के लिए वापस कर दिया गया था। भ्रम संभवतः प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में उत्पन्न हुआ, जो व्यक्तिगत रूप से बहस कर रहा है और उन्होंने गैरीसन इंजीनियर जी. ई. (ए. एफ.) एम. सी., चंडीगढ़ के कहने पर दायर आपत्तियों की स्थिरता के सवाल पर ऐसे सभी तर्क उठाए। तदनुसार, इसे पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

(6) प्रत्यर्थी संख्या 1 का दर्द और शिकायत समझ में आने योग्य है लेकिन यह न्यायालय कानून द्वारा बाध्य है। यह मेसर्स भंडारी उद्योग लिमिटेड बनाम औद्योगिक सुविधा परिषद और अन्य 1 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के रूप में एक तय प्रस्ताव है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय है, जो मध्यस्थ की नियुक्ति करता है, केवल जिसके पास अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियों पर निर्णय लेने या आपत्तियों को लेने का क्षेत्राधिकार है। पैरा सं. 10 और 11 निम्नानुसार पढ़े जाते हैं-

"10. निर्विवाद रूप से, मध्यस्थता कार्यवाही रायचूर न्यायालय के

1 2015(2) आर. सी. आर. (सिविल) 918

(न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर)

क्षेत्राधिकार में की गई है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के अनुसार इसका क्षेत्राधिकार है और यह कर्नाटक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है जिसने धारा 11 प्रार्थना पत्र पर विचार किया। इसलिए, इस अवार्ड को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसे न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकारता का प्रयोग अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान के खिलाफ होगा।

11. मामले पर अपनी चिंता व्यक्त करने के बाद, हमारा यह विचार है कि लातूर के जिला न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन पर विचार करने और पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने में कानून की त्रुटि की है।"

(7) वर्तमान मामले में, मध्यस्थ की नियुक्ति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई थी।इस प्रकार, चंडीगढ़ के न्यायालयों के पास क्षेत्राधिकार होगा।

(8) प्रतिवादी संख्या 1 का यह तर्क कि याचिकाकर्ता ने स्वयं मध्यस्थ की नियुक्ति के समय आपत्तियाँ ली थीं कि यह दिल्ली के न्यायालय हैं जिनके पास क्षेत्राधिकार है, मदद नहीं करेगा। याचिकाकर्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी और उस समय क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया।

(9) अगला तर्क कि चंडीगढ़ के न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2015 और 15.9.2017 , जिसे दिल्ली के क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर करने के लिए निष्पादन आवेदन वापस कर दिया गया था, भी अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं क्योंकि यह सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम अब्दुल समद और अन्य 2 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का तय प्रस्ताव है। कि निष्पादन याचिका कहीं भी दायर की जा सकती है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा No.22 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"22. इस प्रकार, हमारा बिना किसी हिचकिचाहट के यह विचार है कि उसके निष्पादन के माध्यम से किसी अवार्ड के प्रवर्तन को देश में कहीं भी दायर किया जा सकता है जहां इस तरह की डिक्री को निष्पादित किया जा सकता है और न्यायालय से डिक्री के स्थानांतरण को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका मध्यस्थता कार्यवाही पर क्षेत्राधिकार होगा।"

(10) उसी को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति दी जाती है।दिनांक 28.8.2019 के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।

2 2018 (1) आर. सी. आर. (सिविल) 994

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का न्यायालय चंडीगढ़ गुण-दोष के आधार पर आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा और पक्षकार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ के न्यायालय के समक्ष 20.12.2019 को उपस्थित होंगे। इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.11.2013 में किये गये अवलोकन को ध्यान में रखते हुए।उक्त अवलोकन के अनुसार, "याचिकाकर्ता खुद को एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पाता है जहां मध्यस्थता के माध्यम से समाधान के लिए उसके द्वारा उठाए गए विवाद पिछले 13 वर्षों से हल नहीं हुए हैं, जिसके दौरान आठ व्यक्तियों को प्रतिवादीगण द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है।यदि कोई कह सके , तो मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के त्वरित समाधान के उद्देश्य को प्रतिवादीगण द्वारा उस तरीके से विफल करने की कोशिश की जाती है जिसमें इन मध्यस्थता कार्यवाही को आगे बढ़ाने को बताया गया है। याचिकाकर्ता के साथ किया जा रहा गंभीर अन्याय इस तथ्य के कारण भी है कि मध्यस्थता की लंबितता को प्रतिवादीगण द्वारा याचिकाकर्ता से किसी भी आगे के अनुबंध से इनकार करने के लिए एक बहाने के रूप में लिया जा रहा है।" तदनुसार, यह न्यायालय निर्देश देता है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ का न्यायालय पक्षकारों के उसके समक्ष उपस्थित होने के दो महीने के भीतर, भले ही दिन-प्रतिदिन की सुनवाई होनी हो, उक्त आपत्तियों पर यथासंभव शीघ्रता से निर्णय करेगा।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण :-

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिये है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके आैर किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक आैर आधिकारिक उददेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण् प्रमाणिक होगा आैर निष्पादन आैर कार्यानवन के उददेश्य के लिये उपयुक्त रहेगा ।

राम गोपाल